समाहरणालय, खगड़िया

(पंचायत शाखा)

भोजन/नाश्ता/चाय आदि के आपूर्त्ति हेतु निविदा

आगामी पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2016 के सफल संचालन के क्रम में विभिन्न कोषांगों में देर रात तक कार्यरत कर्मियों, निर्वाचन कार्य एवं मतगणना कार्य में संलग्न कर्मी/बल आदि को भोजन/नाश्ता/चाय आदि की आवश्यकता होगी। इस कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्मो से जिला पंचायती राज कार्यालय, खगड़िया के ज्ञापांक 170/पं0, दिनांक 10.03.2016 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, परन्तु एक भी फर्म के द्वारा निविदा प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण निविदा निस्तार की तिथि दिनांक 21.03.2016 को निविदा का निस्तार नहीं किया गया।

अतः पुनः उक्त कार्य को करने हेतु वैसे निबंधित एवं सक्षम फर्म जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्धारित मीनू के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थान पर भोज्य सामग्री तैयार कर विभिन्न कार्य स्थल पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पैकेट्स तैयार कर आपूर्त्ति करने के इच्छुक हैं। वे दिनांक 07.04.2016 के अपराह्न 03:00 बजे तक द्विलिफाफा पद्धति के तहत मुहरबंद लिफाफा में जिला पंचायती राज कार्यालय, खगड़िया में निविदा दे सकते हैं। निविदादाता फर्मो को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में समर्पित करना होगा। निर्धारित समयसीमा के बाद प्राप्त होनेवाले कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी दिन अर्थात् दिनांक 07.04.2016 के अपराह्न 03:30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म के ही वित्तीय निविदा को खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा के साथ निविदादाता को 25000.00 (पच्चीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया के नाम से संबोधित होगा, संलग्न करना होगा। निविदा का प्रपत्र जिला पंचायती राज कार्यालय, खगड़िया से 200.00 (दो सौ) रू0 में कार्यालय दिवस में कार्यालय अवधि में दिनांक 07.04.2016 के अपराह्न 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा से संबंधित सभी आवश्यक शर्त्ते एवं जानकारी के लिए खगड़िया जिला के वेबसाईट www.khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

ह0/–

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) खगड़िया।

ज्ञापांक 424/पंचायत, दिनांक 28/03/16

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के लोकप्रिय तीन हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) खगड़िया।

समाहरणालय, खगड़िया

(पंचायत शाखा)

निविदा प्रपत्र

प्रपत्र मूल्य – 200.00 (दो सौ) रूपये (निविदा प्रपत्र सहित)

भोजन/नाश्ता/चाय आदि के आपूर्त्ति हेतु निविदा प्रपत्र

(क) सामान्य शर्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य है। दोनों लिफाफे को अलग से एक लिफाफे में डालकर इसे मुहरबंद कर समर्पित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधा पहुँचाने हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।
5. आपूर्ति की जाने वाली भोजन/नाश्ता/चाय कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
6. पैकेटिंग कार्य में पॉलीथीन के थैला का व्यवहार नहीं होगा। सभी भोज्य सामग्री को अल्युमीनियम फोआइल के पैकेटस में पैक कर आपूर्त्ति करनी होगी।
7. भोजन/नाश्ता/चाय की आपूर्त्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर करनी होगी।
8. फर्म को उपरोक्त सामग्री की तैयारी एवं पैकेटिंग का कार्य जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर करना होगा।
9. खाना की गुणवत्ता, शुद्धता एवं माप की जांच खाद्य निरीक्षक एवं आपूर्त्ति निरीक्षकों द्वारा की जायेगी।
10. निविदादाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
11. निविदादाताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
12. भुगतान के समय देय कर की राशि की कटौती श्रोत पर नियमानुसार कर ली जायेगी।
13. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
14. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला प्रशासन के आदेशानुसार निर्धारित स्थल एवं समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं सेवा कर से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र, वैट नम्बर तथा आयकर नम्बर देना होगा। साथ ही अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर एवं सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया के पक्ष में 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया निविदा ही मान्य होगा।
4. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गई है।
5. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें:–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पैकेट्स तैयार कर करना होगा।
2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा।
3. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
4. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

जिला पदाधिकारी
–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) खगड़िया।